

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 55/2017

अपीलांत

लिखमाराम पुत्र कुंपाराम
जाति रबारी निवासी गोलिया
जीवराज तहसील सिणधरी

बनाम

रेस्पोंडेंट

राजस्थान राज्य जरिये
1.तहसीलदार, सिणधरी
2.नायब तहसीलदार सिणधरी



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध आदेश दिनांक 27.07.2017 बमुकदमा संख्या 17/2017 द्वारा
नायब तहसीलदार, सिणधरी

उपस्थिति:—1.श्री गंगाराम विश्‍नोई अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.04.2018

1. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का जीवराज गोलिया ने नायब तहसीलदार, सिणधरी के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलांत—लिखमाराम ने सम्वत् 2074 में मौजा लोलावा के खसरा नम्बर 35 रकबा 0-11 बीघा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड बनाकर अतिक्रमण किया है। इस पर नायब तहसीलदार, सिणधरी ने प्रकरण संख्या 17/2017 दर्ज कर, बाद जाँच एवं सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया एवं एक माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांत ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को सम्मन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट पर व्यक्तिगत तामिल नहीं हुई है, अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांट की भूमि एवं खसरा नम्बर 35 की भूमि जोड़ाजोड अवस्थित है इस पर अपीलांट का वर्षो पुराना कब्जा चला आ रहा है गैर मुमकिन ओरण की भूमि का सीमाकन नहीं होने से अपीलांट का कब्जा रहा है इसकी जानकारी होने पर विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट ने अतिक्रमण हटा दिया है, जुर्माना की राशि अदा कर दी गई है, अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त कर सिविल कारावास की सजा माफ की जाए।

इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण की भूमि है है। अपीलांट ने गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर बाड़ा बनाकर कब्जा किया है। अपीलांट के नाम विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो सही एवं उचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट के अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि जारी नोटिस अपीलांकर्ता पर व्यक्तिगत तामिल नही होने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के नाम पेशी तारीख 27.07.2017 का नोटिस जारी किया गया है, जो अपीलांट स्वम् द्वारा तामिल है मगर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर नहीं आया है। ग्राम लोलावा के खसरा नम्बर 35 रकबा 18-08 बीघा राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। इस तथ्य को अपीलांट स्वीकार करते है अपीलांट ने इस गैर मुमकिन गोचर में से 0-11 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर बाड़ा बनाया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान अनुसार अपीलांट द्वारा इस भूमि पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 40/2016 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 06.10.2016 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये थे। जिस पर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही की जाकर दिनांक 17.04.2017 को कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया है। जिसकी बेदखली रिपोर्ट एवं फर्द कब्जा पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी है। अपीलांट की इस प्रवृत्ति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह सही एवं न्याय्योचित है जिसका हम समर्थन करते है। इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट ने

जिला कलेक्टर
बाडमेर

निवेदन किया कि अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व भूमि से कब्जा हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अतिकमी ने मौके से कब्जा हटा लिया है। अतः अपीलांट ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है और अतिकमीत भूमि खाली एवं सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए, सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है।



(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर, बाडली
जिला कलक्टर
बाडली

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

जिला कलक्टर, बाडली
जिला कलक्टर
बाडली